न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 393/2025
जीसीएमएस संख्या–2025/566

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
रामपाल पुत्र गोकलराम जाति मेघवाल निवासी चिरढ़ाणी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर		भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता दर्ज दिनांक 23/09/2025

श्री मंसूर अली छीपा–प्रार्थी की ओर से

तहसीलदार पीपाड़ शहर–अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः– 08/12/2025

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम चिरढ़ाणी पटवार हल्का चिरढाणी तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 792 रकबा 0.1191 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा संख्या 793 रकबा 2.2945 हैक्टेयर किस्म बारानी, कुल खसरे 02 कुल रकबा 2.4136 हैक्टेयर आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड के खाता सं नया 541 व पुराना 545 पर प्रार्थी के नाम से इन्द्राजसुदा है जिसके सबूत में जमाबंदी संवत 2081 की सलंग्न पेश है। प्रार्थी ने अपने उक्त खसरों का दिनाक 22.06.2025 को सीमाज्ञान करवाया जो ऑनलाईन आवेदन संख्या 2025/8125/18 की पालना में किया गया, प्रार्थी अपने उक्त खसरो की पत्थरगढी करवाना चाहता है प्रार्थी के खसरो के पडौसी खातेदार प्रार्थी को सीमाज्ञान के अनुसार तारबंदी करने में बाधा पहुंचाते है व दिंनाक 22.06.2025 के सीमाज्ञान को नहीं मानते हुए प्रार्थी को परेशान करते है। प्रार्थी अपने खेत खसरा संख्या 792 रकबा 0.1191 हैक्टेयर, खसरा सख्या 793 रकबा 2.2945 हैक्टेयर की सीमाज्ञान के साथ पत्थरगडी करवाना चाहता है जिससे किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं है तथा प्रार्थी अपने खेतो की पत्थरगडी एवं सीमाज्ञान करवाने हेतू नियमानुसार शुल्क जमा करवाने हेतू तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से ग्राम चिरढाणी पटवार हल्का चिरढाणी तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 792 रकबा 0.1191 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा संख्या 793 रकबा 2.2945 हैक्टेयर किस्म बारानी, कुल खसरे 02 कुल रकबा 2.4136 हैक्टेयर का सीमाज्ञान एव पत्थरगडी किये जाने के सादर आदेश फरमाए जाने व पड़ोसी खसरों के खातेदारों द्वारा यदि कोई विवाद किया जाता है व पत्थरगडी करने में कोई बाधा पहुंचाई जाती है तो पुलिस इमदाद के साथ सीमाज्ञान व पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर को नोटिस जारी किये गये जिनमें से अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम चिरढाणी पटवार हल्का चिरढाणी तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 792 व खसरा संख्या 793 का सीमाज्ञान एव पत्थरगढ़ी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं है।

हमने पक्षकारान् की बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि कहा कि ग्राम चिरढाणी पटवार हल्का चिरढाणी तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 792 व खसरा संख्या 793 भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है। भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर ने भी अनापत्ति जाहीर की ।

आदेश

हमने पत्रावली, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवकलोकन एवं पक्षकारान् की बहस पर मनन किया गया जिससे यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार है इसलिए वादग्रस्त आराजी का नापचौक सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाना न्यायसंगत है। अत प्राथी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि ग्राम चिरढाणी पटवार हल्का चिरढाणी तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 792 व खसरा संख्या 793 भूमि का टीम गठित कर नापचोक व सीमांकन कर रूबरू पक्षकारान् के सीमा कायम करते हुए पैमाइश करवाकर पत्थरगढी करावे। इस बाबत् नियमानुसार शुल्क प्रार्थीगण राजकीय कोष में जमा करवायेगें। तहरीर जारी हो । तहसीलदार पीपाड़ शहर बाद पैमाइश पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 08/12/2025 को सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

8/12/2025 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उप. पक्षकारान् बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ऑनलाइन आयकौन से स्वीकार किया जाकर नियम कायदा के मुताबिक [illegible] [illegible] [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर